न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 49/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/76

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति जट सिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. गुरनाम सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति जट सिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी 53 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विनोद कुमार पुरोहित — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सत्यपाल सहू — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2

निर्णय

दिनांक 24.08.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.08.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि वाके चक 7 डी.बी.एन तहसील सूरतगढ़ के पं. नं 64/275 मुरब्बा नंबर 1 किला नंबर 16 ता 25 की कुल 2.5300 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी, जिसकी खातेदारी सनद क्रमांक 662 दिनांक 11.03.1974 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट्स के नाम जारी की गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 16.08.1973 के आधार पर नियमितीकरण के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि को नियमित घोषित कर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूतरगढ़

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– अभिभाषक अपीलांट्स ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश इकतरफा आदेश है। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ़ के नोटिस दिनांक 13.04.2022 द्वारा प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अपीलांट्स द्वारा जान बुझकर देरी नहीं की गई। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र, अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरांत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को उचित एवं सही मानते हुए अपील अपीलांट्स मियाद में शुमार की जाती है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विनोद कुमार पुरोहित ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि चक 7 डी.बी.एन तहसील सूरतगढ़ के पं.नं 64/275 मुरब्बा नंबर 1 किला नंबर 16 ता 25 की कुल 2.5300 हैक्टेयर भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलांट का आदिनांक कब्जाकाश्त है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2020 अपीलांट्स को बिना सुने एकतरफा पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स को कीमतन आवंटित हुई थी, जो आज तक राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के नाम से चली आ रही हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कूटरचित दस्तावेज पेश कर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो मे ये अंकित किया है कि विवादित भूमि अपीलांट्स से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की हुई है, जबकि अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से कोई बैयनामा नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा लगभग 40 वर्ष तक खरीदशुदा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही भी नहीं की गई। अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में अपने हितों की रक्षा के लिए धारा 188, 209 का वाद पत्र सरजीत सिंह आदि बनाम भजनलाल, ओमप्रकाश व अन्य प्र.स. 181/2013 रेस्पों सं. 2 के विरूद्ध पेश कर रखा है, जिसमें ओमप्रकाश पुत्र नानूराम को प्रति. सं. 04 अंकित कर रखा है। उक्त में प्रति. सं. 04 ने वाद पत्र में दिनांक 09.09.2013 को अपनी उपस्थिति दिखा रखी है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या को इल्म हो जाने के बावजूद भी अपीलांट्स को नियमन की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाकर

एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री सत्यपाल सहू ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जैर प्रकरण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की है। उक्त भूमि हस्तांतरण की दिनांक को अपीलींट्स के नाम से गैर खातेदारी दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त क्रयशुदा भूमि को नियमानुसार विधिमान्य करार दिये जाने हेतु शमन फीस निर्धारितय समयावधित में जमा करवा दी गई। तहसीलदार सूरतगढ़ अनुसार कियी प्रकार का विवाद भी उक्त भूमि बाबत जैरकार नहीं है। अपीलांट्स द्वारा उक्त रकबा जरिये इकरारनामा दिनांक 16.08.1973 को बेचान कर कबज सौंपा हुआ हैं। उक्त अंतरण आवंटन के करीब दस वर्ष के पश्चात गैर खातेदारी के दौरान किया गया हैं, जिसके नियमितिकरण के आदेश दिनांक 19.08.2020 को अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने जारी कर दिये है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलांट को बिना सुने इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलांट्स वादगत भूमि के हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूतरगढ़ जिला श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय दोनो पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर